


कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

क्रमांक:- 93

दिनांक:- 22.04.2021

कार्यालय आदेश


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 90 दिनांक 20.04.2021 से नाथद्वारा मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट स्तर के आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 26 से 30 अप्रैल, 2021 व 01, 03 मई, 2021 तक श्री मनोज सिंघारिया, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा को न्यायालय में कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु श्री सिंघारिया के दिनांक 21.04.2021 को कोरोना पॉजिटिव हो जाने से श्री सिंघारिया के स्थान पर दिनांक 26 से 30 अप्रैल, 2021 तक श्री परिणय जोशी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा तथा दिनांक 01 व 03 मई, 2021 को श्री लेखपाल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा की ड्यूटी लगाई जाती हैं।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द-2021
दिनांक:- 22.04.2021

क्रमांक: स्था0/2021/1670-1707

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमंद
2. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, राजसमंद
3. विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी.(अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा/राजसमन्द
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
6. जिला कलक्टर, राजसमन्द
7. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम/नाथद्वारा/राजसमन्द/देवगढ
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आमेट/नाथद्वारा/कुम्भलगढ/राजसमन्द/रेलमगरा
11. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ~~नाथद्वारा~~
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा
13. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, राजसमंद
14. प्रभारी अधिकारी
15. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजसमंद/नाथद्वारा/भीम/देवगढ/आमेट/कुम्भलगढ/रेलमगरा
16. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय हाजा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रीडर/कोर्ट मैनेजर/कार्यालय सहायक न्यायालय हाजा
18. कार्यालय प्रति।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द
22/4/21

1703 - 16